संख्या / वर्ष : ____________ / 20 ____________

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17.01.22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी द्वारा फौन होने पर प्रार्थी की ओर से श्री हनुमान जाखड़ एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल फाईल है। अप्रार्थी गणों की पुन: रजि. तलबी होकर पत्रावली दिनांक 5-4-22 को पेश हो।	
5-4-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 16-6-22 को पेश अप्रार्थीगणों की तलबी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया।	
16-6-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 22-8-22 को पेश	
22/08/22	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 21/10/2022 को पेश हो। पी.ओ. सा. ~~दौरे~~ अवकाश में पधारे हैं।	
21/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्रार्थी उप है। वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 9/12/22 को पेश श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित की / जाती है।	
9/12/22	पत्रावली पेश हुई। वादी / प्रार्थी / अप्रार्थी अधि. उपस्थित। वकील सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। नकल प्रार्थी को दिलवाई गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 16/12/22 को पेश हो। 09/12/2022	
16/12/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी / अप्रार्थी अधिवक्ता सरकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा [illegible] खसरा के ख. नं. 121/2, 123/2 की प्रतियां	

मुकदमा संख्या/वर्ष :		/20
क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		कराये जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के चारों दिशाओं के खातेदारों को वादी प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का अध्ययन-मनन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब को स्वीकार किया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में आवेदित भूमि की पत्थरगढी कराये जाने हेतु समस्त दिशाओं के खातेदार आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। 16/1/2022 उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर